कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2929/मैनपुरी/24596/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 16, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2
लखनऊ।

विषय : मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 (कल्यानपुर से नवीगंज सेक्शन) किमी0 229.000 से 289.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 97.896 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/13/2018/एफसी/01, दिनांक 02.04.2018,
उ0प्र0 शासन का पत्रांक–भा0स0–54/14–2–2018–800(11)/2018, दि0 04.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दि0 27.03.2018 में लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित सूचनाओं व अभिलेखों को उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें व अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक–4782/14–1, दिनांक 16.04.2018 द्वारा वांछित सूचनाओं व अभिलेखों की तीन प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। अतः उक्त सूचनाओं व अभिलेखों की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि भारत सरकार के कार्यालय में दिनांक 18.04.2018 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक निर्धारित है। अतः एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16.4

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0–एच, अलीगंज, लखनऊ।

2– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मैनपुरी

4– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।